उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004

अधिसूचना

दिनांक सितम्बर 14, 2004

No. F-9(9)/RG/UERC/2004/597--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 87 के अन्तर्गत प्रदत्त और इस निमित्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रवाह करके उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थात :--

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन .**

(1) यह विनियम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 कहीं जायेगी।

(2) ये विनियम आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निश्चित तिथि से प्रवृत्त होंगे।[1]

2. **परिभाषायें :**

(1) जब तक कि इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियम में;

(a) 'अधिनियम' का तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(b) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य विद्युत सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष के साथ--साथ अधिनियम की धारा-- 87 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आयोग के अध्यक्ष से भी है;

(c) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग से है;

(d) 'समिति' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 87 के उपबन्धों के अनुसार गठित राज्य सलाहकार समिति से है;

(e) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(f) यहां प्रयोग किये गए शब्द तथा भाव, जो यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो कि अधिनियम में दिया गया है।

3. **समिति के सदस्यों की पदावधि :**

आयोग के अध्यक्ष से भिन्न समिति का प्रत्येक सदस्य, एक वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि उसकी नियुक्ति को इस विनियम में विहित रीति से उसके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय। किसी सदस्य के पद के कार्यकाल के अवसान पर आयोग अपने विवेकानुसार सदस्यों की पुनर्नियुक्ति कर सकता है।

4. **राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्य :**

समिति के उद्देश्य जैसे कि अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत उपबन्धित है, उसी के अनुसार होंगे।

5. **समिति का सचिव :**

आयोग का सचिव, समिति का सचिव होगा। वह इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा।

6. **बैठक की सूचना :**

समिति की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार समिति के अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन इसके सचिव द्वारा बुलाई जायेगी। सचिव, समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की सूचना का दिनांक, समय और स्थान, लिखित रूप में, कम से कम दस दिन पूर्व देगा, सचिव सदस्यों को सम्बन्धित बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व बैठक के एजेंडा की प्रतियां भेजेगा।

[1]यह विनियम दिनांक 30.10.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

7. समिति के बैठक की अध्यक्षता :

समिति का पदेन अध्यक्ष, समिति की बैठक के अध्यक्ष के रूप में सभापतित्व करेगा।

8. समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता :

(1) समिति का सदस्य इन विनियमों में एतद्पश्चात् यथाउपबंधित बैठक में उपस्थित रहने के लिए दैनिक भत्ता सहित मात्र यात्रा भत्ता के लिए हकदार होगा ।

(2) सरकारी सेवक से भिन्न समिति का सदस्य, बैठकों में भाग लेने वाले दिनों में, इस उपबंध के अधीन कि समिति पर अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक की हकदारी, सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्ति के समय उसकी हकदारी से निम्न न होगी, उत्तरांचल सरकार के सचिव की श्रेणी में किसी सरकारी सेवक के लिए प्रयोज्य नियमों के अनुसार और दरों पर देय दैनिक भत्ता सहित यात्रा भत्ता के लिए हकदार होगा।

(3) समिति का सदस्य, जो सरकारी सेवक होगा, सरकारी यात्रा भत्ता नियमों के अधीन उसके लिए अनुमन्य वेतनमान, जिसमें वह नियोजित है, पर दैनिक भत्ता सहित यात्रा भत्ता आहरित करने के लिए हकदार होगा।

(4) समिति का सचिव ऐसे यात्रा/दैनिक भत्ता देयकों के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकारी होगा।

9. कार्यवाहियां :

(1) समिति की सभी बैठकों की कार्यवाहियों को बैठक के अध्यक्ष द्वारा तैयार तथा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) समिति की बैठकों का एजेंडा उन विषयों, जिन पर समिति से उक्त अधिनियम के अधीन परामर्श किया जाना आपेक्षित हो, के अनुसार मोटे तौर पर होगी।

(3) एजेंडा में अन्तर्विष्ट मामलों से भिन्न किसी भी विषय पर, बैठक के अध्यक्ष की विशेष अनुमति के सिवाय समिति की बैठक में विचार या परामर्श नहीं करेगा ।

10. गणपूर्ति और स्थगित बैठक :

(1) समिति की बैठक में एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति का गठन करेंगें। यदि बैठक के लिए नियत समय के आधे घंटे के भीतर कोई गणपूर्ति नहीं होती है तो कोई बैठक आयोजित नहीं होगी ओर बैठक का अध्यक्ष, यदि उपस्थित हो तो, तत्काल ऐसी दिनांक तक के लिए बैठक स्थगित कर सकता है, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें। इस प्रकार स्थगित हुई बैठक के लिए कोई अग्रेतर सूचना दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) यदि बैठक प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय उसकी प्रगति के दौरान गणपूर्ति होना समाप्त हो जाता है तो बैठक में गणपूर्ति की कमी की अपेक्षा नहीं की जायेगी और अपना कार्य निस्तारित करना जारी रखेगी।

(3) स्थगित बैठक में किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है।

(4) उपखण्ड (1) के अधीन स्थगित बैठक में, ऐसी बैठक जो स्थगित की गई थी, के लिए अनुसूचित मामलों से भिन्न किन्हीं अन्य मामलों में विचार नहीं किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि बैठक का अध्यक्ष किसी नए मामले को, जो उसकी राय में अति आवश्यक हो, स्थगित की गई बैठक के समक्ष, सूचना सहित या बिना सूचना के किसी मामले को ला सकता है, या उसे लाने की अनुमति दे सकता है या उसे लाने के लिए निर्देश दे सकता है।

11. व्यवस्था का प्रश्न :

किसी बैठक में आदेश के उठाये गये किसी बिन्दु को, बैठक का सभापतित्व कर रहे अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

12. सदस्य का त्याग–पत्र :

पदेन सदस्य से भिन्न समिति का कोई भी सदस्य, आयोग के सचिव को लिखित रूप में सूचना देकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है तथा यह आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने के दिन से प्रभावी होगा।

13. सदस्य को हटाया जाना :

(1) पदेन सदस्य से भिन्न समिति के किसी भी उस सदस्य को आयोग हटा सकता है, जो कि–

(a) दिवालिया निर्णीत कर दिया गया हो; या

(b) नैतिक उधमता से सम्बन्धित अपराध का सिद्ध दोषी हो; या

(c) मानसिक या शारीरिक रूप से एक सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया हो; या

(d) इस प्रकार का आचरण किया है या अपने पद का इस तरह दुरूपयोग किया जिससे कि सदस्य के रूप में उसका बने रहना लोक हित के लिए या अधिनियम के ध्येय तथा उद्देश्यों के लिए हानिकारक हो जाये।

(2) उपरोक्त उपखण्ड (1) के अधीन हटाये जाने के लिए प्रस्तावित सदस्य को आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा।

14. कार्यवाहियों की विधिमान्यता के लिए दी गयी व्यावृति :

समिति में मात्र किसी रिक्ति या रिक्तियों की विधिमान्यता के कारण या सूचना या एजेंडा के प्रति की अप्राप्ति के कारण प्रतिबन्ध यह है कि वह सम्यक् रूप से जारी की थी, या बैठक के कार्य संचालन में किसी अनियमितता के कारण समिति की कोई कार्यवाही आवाध मान्य न होगी।

स्पष्टीकरण :

कोई सूचना सम्यक् रूप से जारी की गई समझी जायेगी, यदि वह किसी सदस्य के पंजीकृत पते पर विहित समय के भीतर डाक द्वारा या चपरासी द्वारा भेजी गयी हो।

15. सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को उपस्थिति का आमंत्रण :

समिति को उसके विचार विमर्श में सहायता करने के लिए समिति के सदस्यों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों, जो समिति के हित के मामले में विशेष या उपयोगी ज्ञान रखते हों, को होने के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा उसकी किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति विचार विमर्श में भाग ले सकेंगे।

16. परामर्श :

आयोग ऐसे मामलों में विनिश्चय करते समय जिन पर समिति के विचार मांगे गये हों, उन पर विचार करेगा।

17. सामान्य :

इस विनियम में बैठकों के संचालन के लिए स्पष्टतः उपबंधित नहीं किये गये मामलों में किसी बैठक का सभापतित्व कर रहे अध्यक्ष का निर्णय, बैठक के कार्य के संचालन से सम्बन्धित मामलों पर, अन्तिम होगा।

18. प्रकीर्ण :

(1) आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी प्राविधान में अभिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

(2) इन विनियमों के किसी प्राविधान को कार्यान्वित करने में यदि कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा कठिनाईयों को दूर करने के लिए आयोग की दृष्टि में जैसा आवश्यक व हितकर हो वैसा कर सकता है या ग्रहण कर सकता है अथवा समिति को ऐसा करने या ग्रहण करने के लिए अनुमति दे सकता है।

आयोग के आदेश से,

आनंद कुमार,

सचिव,

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/494–भाग 1–क–2004 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।